



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोननं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



डॉ. एम. आर. चौधरी

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांक: एफ. ()/सीएस/खुली निविदा/श्रीकनकृमवि/2024/1241

दिनांक: 29/8/24

M/s RM Hospitality

Village & Post Jawaja

Teh.-Beawar, Dist. - Ajmer (Raj.) 305 922

कार्यालय आदेश

विषय: महाविद्यालय के अतिथि गृह में ठहरने वाले अतिथियों एवं अतिथि गृह का रख-रखाव, निगरानी एवं पेड़-पौधों की देखभाल का कार्य करने बाबत

संदर्भ: पत्र क्रमांक एफ.()/खुली निविदा/श्रीकनकृमवि/2024/986 दिनांक 02.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत व संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के अतिथि गृह में ठहरने वाले अतिथियों एवं अतिथि गृह का रख-रखाव, निगरानी एवं पेड़-पौधों की देखभाल के कार्य हेतु निविदा क्रमांक एफ.()/खुली निविदा/श्रीकनकृमवि/2024/986 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा आपकी निविदा दर रु. 42,480/- (जीएसटी सहित) प्रति माह की दरें अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक के लिए अनुमोदित कर आदेश दिया जाता है कि अतिथि गृह प्रभारी के निर्देशानुसार समस्त कार्य संपादित करेंगे।

नियम व शर्तें

1. यह कार्य आदेश प्राप्त के 7 दिवस के अंदर निविदा राशि का 5.0 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि धरोहर राशि रूपये 11,000/- को सम्मिलित करते हुए रूपये 16,500.00 (अक्षरे सोलह हजार पांच सौ रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से जमा करवाना होगा।
2. निविदादाता को कार्य आदेश के प्राप्त पर 07 दिन के अंदर इस निविदा में दिए गए कार्यों में लगे श्रमिकों का ई.एस.आई./सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाकर उसके प्रमाणपत्र की प्रति प्रभारी, अतिथि गृह के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
3. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. निविदादाता को महाविद्यालय के साथ कार्य संपादन के संबंध में रु. 500 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वयं के खर्चे पर समस्त निविदा शर्तों का शपथ पत्र पर अनुबंध करना होगा।
5. निविदादाता को इस निविदा में दिये गये सभी नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। किसी प्रकार की कार्य के प्रति लापरवाही या असंतोष पाये जाने पर विश्वविद्यालय नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म स्वयं की होगी।

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
3. प्रभारी, अतिथि गृह, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
5. रक्षित पत्रावली

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष